

फर्द अहकाम

बनाम

य का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

/ 202.....

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.11.24	पत्रावली फेर हुरी। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पूर्विका की पाठना में पत्रावली दिनांक 11/12/24 को फेर हो	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर
11/12/24	पत्रावली फेर हुरी। P.O. सा. अन्य साखण्ड द्वारा है। अन्तःपुरी अन्तःपुरी दिनांक 02/12/24 को फेर हो।	
27-12-24	पत्रावली फेर हुरी। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पूर्विका की पाठना में पत्रावली दिनांक 22/12/25 को फेर हो।	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
17.1.25	अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र साबत पत्रावली विज्ञा करने एवं तसब करने हेतु फेर करने पर पत्रावली आज तसब की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस माझव का फेर किया गया है कि प्रार्थी/वादी प्रकरण को भागे नहीं चलाना चाहते हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र विज्ञा करने की अनुमति प्रदान करने। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली विज्ञा किमि जाने स्वीकार किया जाना अन्यायित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 एवं 136 C-R Act खारीप किया जाता है। पत्रावली नौसल शुमार होकर नंबर से कम होकर साखिल कर हो।	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर